# कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfomussoorie2022@gmail.com Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक- 3628 / 12-1 मसूरी, दिनांक- 08 / 05 / 2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०,
थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल।

विषय :- **जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 5.00 कि०मी०) के निर्माण हेतु 2.975 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।** (Online Proposal No. – FP/UK/ROAD/10527/2015)

सन्दर्भ :- आपके कार्यालय का पत्रांक-902/21सी०, दिनांक-22.04.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरी-केन्द्रीय क्षेत्र), देहरादून के पत्र संख्या-08वी./यू.सी.पी./06/86/2017/एफ.सी./2070, दिनांक- 07.01.2019 से कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालन आख्या में निम्नलिखित कमियां पाई गयी है, जिसकी पूर्ति प्रयोक्ता अभिकरण से अपेक्षित है, तदोपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी :-

1. प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हुए पांच वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, अत: भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र File No.5-3/2011-FC(Vol-I), दिनांक- 19 जनवरी 2022 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-1326/1जी-5057, दिनांक- 6 जनवरी 2024 के निर्देशानुसार एन०पी०वी० की धनराशि वर्तमान दरों के अनुसार जमा की जानी है।

   वर्तमान दरों के आधार पर पुनरीक्षित एन०पी०वी गणना शीट इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेपित है, जिसके अनुसार प्रश्नगत भूमि हेतु एन०पी०वी० की धनराशि ₹ 38,46,229.00 (अड़तीस लाख छियालीस हजार दो सौ उनतीस रु० मात्र) है। पूर्व में आपके द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि ₹ 25,13,875.00 (पच्चीस लाख तेरह हजार आठ सौ पचहत्तर रु० मात्र) का भुगतान किया जा चुका है। अत: एन०पी०वी० की अवशेष धनराशि ₹ 13,32,354.00 ( तेरह लाख बत्तीस हजार तीन सौ चौवन रु० मात्र) का भुगतान ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा करने का कष्ट करें।

2. साथ ही इस कार्यालय के पत्र संख्या-5408/12-1, दिनांक-07.04.2022 व 108/12-1, दिनांक-06/07/2021 के द्वारा आपको लिखा गया है कि सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या 1 के अनुपालन क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामान्तरण सम्वन्धी दस्तावेज/अभिलेख नोडल कार्यालय द्वारा मूल में चाहे गये हैं। किन्तु आपके द्वारा शर्त संख्या 1 के अनुपालना हेतु वांछित अभिलेख उपलव्ध नहीं कराये गये हैं।

अत: उक्तानुसार कार्यवाही करते हुए पूर्ण अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलव्ध कराना सुनिश्चित करें।

<u>संलग्नक- पुनरीक्षित एन०पी०वी गणना शीट।</u>

भवदीय,

(अमित कंवर)
उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

संख्या : ................../12-1, तद् दिनांकित

प्रतिलिपि : अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेपित।

उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 5.00 कि०मी०) के निर्माण हेतु 2.975 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

## एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन (Revised)

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (F.C. Division), नई दिल्ली के आदेश संख्या File No.- 5-3/2011-FC (Vol-I), दिनांक– 06.01.2022 एवं File No.-5-3/2011-FC(Vol-I), दिनांक–19.01.2022 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 (Net Present Value) की देयता निम्नानुसार है :–

| | |
|---|---|
| 1. ईको–क्लास श्रेणी– | Class- V |
| 2. हरियाली का घनत्व– | 0.4 (MDF) |
| 3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0– | 12,92,850.00 |
| 4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल– | 2.975 है0 |
| 5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि– | 2.975 है0 X 12,92,850.00 = 38,46,228.75 /- |

या **₹ 38,46,229.00 /-**

**(₹ अड़तीस लाख छियालीस हजार दो सौ उनतीस मात्र)**

दिनांक – 08 / 05 / 2024

स्थान – मसूरी

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी